न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी० द्वितीय), संतकबीरनगर।
जमानत प्रार्थना पत्र नं०–1369/2022
(CNR–UPSK010028992022)

1. रियाज उर्फ रिजवान, उम्र लगभग 19 वर्ष, पुत्र–गुलाम नबी,
2. अब्दुल रज्जाक, उम्र लगभग 24 वर्ष, पुत्र–गुलाम नबी,
3. खुर्शीदा खातून, उम्र लगभग 48 वर्ष, पत्नी–हैदर अली,

निवासीगण ग्राम–सोनाड़ी, थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–582/2022
धारा–147, 149, 307, 452, 323, 506 भा०दं०सं०
थाना–धनघटा, जनपद– संत कबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

प्रार्थी/अभियुक्तगण **रियाज उर्फ रिजवान, अब्दुल रज्जाक** व **खुर्शीदा खातून** द्वारा मु०अ०सं०–582/2022, धारा–147, 149, 307, 452, 323, 506 भा०दं०सं०, थाना–धनघटा, जनपद– संत कबीर नगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रोमा देवी पत्नी रमई द्वारा थानाध्यक्ष धनघटा को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके दरवाजे पर सोनू पुत्र हैदर पेशाब कर रहा था, उसके विरोध करने पर सोनू, सेराज, सज्जाद, रियाज, मेराज, रज्जाक, गुलाम नबी एक राय होकर उसके घर में घुसकर बेतहाशा उसे व उसके दोनों पुत्र राहुल व रवि को मारने लगे और तब तक मारे कि उसके दोनों पुत्र बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर पड़े। गांव के एक लोग द्वारा 100 नं० पर पुलिस को सूचना दिया गया। उसके दोनों पुत्रों की हालत गंभीर बनी हुई तथा उपरोक्त लोग उसके घर पर धमकी दे रहे हैं कि उसके दोनों बेटों की जान लेंगे, जिससे वादिनी व उसका पूरा परिवार आतंकित है। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा पुरानी रंजिश के कारण फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थीगण के घर से पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसी कारण झूठी कहानी गढ़ कर स्वयं प्रार्थीगण के घर चढ़कर मारपीट किये है, जिससे प्रार्थीगण को भी चोटे आयी है, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण एकतरफा मुकदमा दर्ज कर प्रार्थीगण के

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2022.11.05 17:43:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध चालान कर दिया गया। थाने की पुलिस/विवेचक महोदय ने मनमाने ढ़ंग से धारा–308 की जगह धारा–307 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी कर दी। प्रार्थीगण का कोई विशिष्ट रोल उक्त अपराध में नहीं है, न तो शिकायतकर्ता को, न ही उसके दोनों पुत्रों को किसी विटाल पार्ट पर कोई ऐसी गम्भीर चोट पायी गयी, जिससे धारा–307 का अपराध बनता है। सहअभियुक्त शुर्शीदा को अनायास अभियुक्त बना दिया गया है। वह एफआईआर में नामजद भी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण की तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त न तो उच्च न्यायालय में, न ही किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र लम्बित है, न ही निस्तारित ही हुआ है। प्रार्थीगण जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण रियाज उर्फ रिजवान व अब्दुल रज्जाक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं तथा अभियुक्ता खुर्शीदा खातून का नाम साक्षी के बयान में आया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा तथा उसके दो पुत्रों को मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचायी गयी है। चिकित्सक अभिजीत के बयान के अनुसार मजरूब रवि कुमार की खोपड़ी की हड्डी दाहिने तथा बाये ओर टूटी हुई है और दोनों तरफ दिमाग के सतह पर अन्दर खून जमा है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई विचार करे न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण **रियाज उर्फ रिजवान, अब्दुल रज्जाक** व **खुर्शीदा खातून** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–582/2022, धारा–147, 149, 307, 452, 323, 506 भा०दं०सं०, थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर खारिज किया जाता है।

दिनांक–05.11.2022

(**काशिफ शेख**)
[J.O.Code –UP02680]
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी० द्वितीय),
संतकबीरनगर।